न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 211 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. शम्भूराम 2. भीयाराम 3. जुगताराम पुत्रान रामाराम 4. धन्नीदेवी पत्नि रामाराम 5. ढलाराम पुत्र सागराराम 6. पुरखाराम पुत्र हरदान 7. धन्नाराम पुत्र मानाराम निवासीगण–ढाढणिया बरडा, तहसील बालेसर जोधपुर।		1. तहसीलदार, बालेसर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेष दिनांक 29.10..2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2021(सी) अनवान सरकार बनाम ग्राम ढाढणिया बरडा में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता केविटर गोपीचन्द व मुकेश वगैराह निवासी– गोकल नगर ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08 / 2021 (सी) अनवान सरकार बनाम ग्राम ढाढणिया बरडा में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.11..2021 को प्रस्तुत की गई है। दिनांक 8.11.2021 को श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता केविटर गोपीचन्द व मुकेश वगैराह निवासी– गोकल नगर ओर से केविएट पेश किया तथा दिनांक 22.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केविएटर अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में इंगित किया कि अपीलान्ट भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें भी अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। दोनों अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन करने के उपरान्त एवं न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने की अनुमति देना उचित मानते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा केविएटर प्रार्थीगणों को भी सुना जाना उचित प्रतीत होता है। तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश पर दोनों अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस को सुना गया।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 131, 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग कैम्प में प्रस्तुत किया कि ग्राम ढाढणिया बरडा तहसील बालेसर के ख0सं0 78, 79, 105, 102, 106, 100 में चल रहे आवागमन हेतु चालू हालत के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त खसरान के खातेदारो की सहमति लिये बिना ही अंकित रकबा भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त धारा 131, 132? 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों में मात्र किसी तरह की हुई लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध करने का अधिकार प्रदत्त किया हुआ जबकि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी को किसी की खातेदारी भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण के खसरान में से पूर्व से ही रास्ता मौजूद है तथा चल रहा है इसलिये नये रास्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित खसरान के खातेदारों को बिना सुने एवं मौका दिये बिना हीं अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अतः

अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं आलौच्य आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में केविटर के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित है। आवेदकगण के कृषि भूमि व रहवासीय ढाणियों में आने जाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 जोधपुर–जैसलमेर हाईवे से कदीमी रास्ता निकलकर ग्राम ढाढणिया बरडा के खेत खसरान संख्या 78,79, 105,102, 106,100 में गुजरता हुआ ग्राम गोकलनगर से होते हुए ग्राम भानगढ तक चलता है उक्त रास्ता वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा कदीमी रास्ता है। जिसको गैरमुमकीन रास्ते में दर्ज करवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर तहसील कार्यालय की अनुशंसा के उपरान्त दिनांक 29.10.2021 को स्वीकार कर कदीमी रास्ता गैर मुमकीन रास्ता करने का आदेश दिया गया है। जो उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन होने एवं आधारहीन होने से खारिज की जावें।

6. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित खसरा संख्या 78, 79, 105, 102, 100 के खातेदारो की खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है।

7. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की

उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर